

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर - 04/2023

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का सोडाली

बनाम

बेळाराम पुत्र वानाराम

ब्राह्मि मेधवल

बिवासी गिबली कितपाली

मुकदमा अन्तर्गत राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91

निर्णय

दिनांक 24.03.2023

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सोडाली ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने संवत् 2019 में राजस्व ग्राम गिबली कितपाली के खसरा नं. 74 रकबा 0.2103 हेक्टेयर किस्म गी.मु.वाला पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर अप्रार्थी अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूँकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज में जिस पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है। ऐसी अवस्था में अप्रार्थी को राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अधिकमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मुतनाजा से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसके विरुद्ध भू - राजस्व लगान 0.18 रुपये का राउण्ड अप एक रुपया का 50 गुणा अर्थात् 50 रुपये (अक्षरे पचास रुपये) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो अप्रार्थी से वसूल हो।

हल्का पटवारी अप्रार्थी को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल कर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करें एवं कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले / भू. अ. निरीक्षक / पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।



नायब तहसीलदार
सिणधरी

वर्ष 2022-23 के राजस्व लेखा परिच्छेद 4 के
पृष्ठ सं. 36 पर क्र.सं 04 पर जुमाना/फसल
निलम्बी यज्ञि रु. 54 की मांग दर्ज की गई।

M. P. J.
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी